90 हजार स्कूली विद्यार्थियों का होगा सर्जिकल स्वास्थ्य उपचार

राजस्थान सरकार

कार्यालय शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा–स/विविध/वो–3/2024/ दिनांक : 23-12-24

समस्त जिला कलक्टर।

विषय :– **"शाला स्वास्थ्य परीक्षण"** कार्यक्रम के अन्तर्गत RBSK एवं आयुष्मान भारत अभियान के अभिसरण से अत्यावश्यक प्रकार की सर्जरी त्वरित रूप से कराने के संबंध में।

विद्यार्थियों के सर्वांगिण विकास को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने माह अगस्त–सितंबर 2024 में पैपरलैस डिजीटल स्वास्थ्य सर्वे कराया गया। इस डिजीटल पैपरलैस ऐप–आधारित **"शाला स्वास्थ्य परीक्षण"** कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों का हैल्थ सर्वे किया जाकर चिकित्सकीय आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की पहचान की गई।

इस कार्यक्रम के तहत लगभग 75 लाख विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और स्वच्छता स्थितियों से संबंधित 70 विभिन्न प्रश्नों पर सर्वेक्षण किया गया। इस अभ्यास के दौरान विद्यार्थियों के प्रमुख लक्षणों, पोषण संबंधी कमियों, शारीरिक मापदंडों और भावनात्मक मुद्दों सहित महत्वपूर्ण बिंदुओं की सूचना संकलित की गई है।

इस डिजीटल सर्वे में **एकत्रित आंकड़ों में से लगभग 90 हजार संभावित सर्जिकल हस्तक्षेप सामने आये हैं** जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे– हृदय की स्थिति, कटे होंठ, क्लब्ड पैर आदि। उक्त सर्जिकल आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का डेटा स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध करवा दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अब चिकित्सीय सहायता के लिए **प्रथम चरण में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा विभाग के समन्वय से** सर्जरी की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की कार्ययोजना बनाकर त्वरित रूप से क्रियान्वयन किया जाना है। अतः उपरोक्त सर्जरी की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए निम्न कार्ययोजना के अनुसार कार्य किया जाना है :–

- ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिन्हित विद्यार्थियों की सर्जरी RBSK की टीम के माध्यम से करवाया जाना/प्लान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

---2.

- जिला स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के तत्वाधान में ब्लॉक स्तर से जिले पर भेजे गए चिन्हित विद्यार्थियों की सर्जरी कराई जायेगी तथा समस्त जिले में उपलब्ध चिकित्सालय में कराकर सम्पन्न करायेंगे। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे जिले से बाहर/अथवा विशेष चिकित्सा, जो जिले में उपलब्ध नहीं है, को राज्य स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेप के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर संबद्ध अस्पतालों (निजी/सरकारी) में प्रेषित कर आवश्यक सर्जरी करायेंगे।
- यदि किसी विद्यार्थी का परिवार RBSK के अन्तर्गत पात्र नहीं है, तो स्थानीय स्तर पर यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित विद्यार्थी के परिवार को आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत जोड़कर योजनाबद्ध तरीके से लाभ उपलब्ध कराया जावे।
- इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग पाक्षिक रूप से जिला कलक्टर द्वारा की जायेगी।

उक्त कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जाना है, जिसके अन्तर्गत सर्जरी की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की सूची के अनुसार (शाला स्वास्थ्य परीक्षण एप्प पर उपलब्ध) सर्जिकल हस्तक्षेपों के त्वरित निदान की कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए दोनों विभागों के ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए वांछित सूचना संलग्न 02 प्रपत्रों में तैयार की जानी है।

अतः उक्त क्रम में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित इस महत्वपूर्ण कार्य में जिला स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सहयोग प्रदान करें।

संलग्न :- 02 प्रपत्र।

(गायत्री राठौड़)
आई.ए.एस.
प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
तथा पंचायती राज (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)
विभाग, जयपुर

(कृष्ण कुणाल)
आई.ए.एस.
शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय,
पंचायतीराज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग
जयपुर।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

---3.

7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक को पालनार्थ।
13. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
14. समस्त ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. समस्त संस्था–प्रधान।

शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय,
पंचायतीराज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग
जयपुर।

प्रपत्र संख्या 01

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	ब्लॉक स्तर पर सर्जरी योग्य चिन्हित विद्यार्थियों की संख्या	दिनांक : 31-1-25 तकी जाने वाली सर्जरी की संख्या (अनुमानित)
1	2	3	4	5

प्रपत्र संख्या 02

क्र. सं.	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	विद्यालय का नाम	सर्जरी योग्य विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	आवश्यक सर्जरी का विवरण	सर्जरी हेतु प्रस्तावित तिथि	सर्जरी हेतु प्रस्तावित स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9